

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

फा. सं. 14/3/2014-एस.आर.(एस.)-खण्ड-V

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 05 दिसंबर, 2014

शुद्धि पत्र

05 DEC 2014

इस विभाग की फाइल क्रमांक 14/110/2002-एस.आर.एस. के तहत जारी आदेश संख्या 84/2002, दिनांक 07.09.2002 के संलग्नक के पृष्ठ संख्या 61 पर अंकित क्रमांक 460 पर उल्लिखित नाम 'श्री नरेंद्र प्रसाद शिल्पी' के स्थान पर 'नर्मदा प्रसाद शिल्पी' पढ़ा जाय।


संलग्नक :- यथोपरि

(अशोक कुमार मल्होत्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:- 011-24651898

1. प्रमुख सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार,
वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
2. प्रमुख सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार,
महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी, मध्य प्रदेश सरकार,
वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
2. प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी, छत्तीसगढ़ सरकार,
महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.

01/2

सं० 14/110/2002-एस.आर.(एस.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।

दिनांक: सितम्बर, 2002

07 SEP 2002

आदेश सं० 84 /2002

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 01.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम के धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य, के क्रियाकलापों के संबंध में, यथास्थिति, 01.11.2000 से ही अंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को, उसके नाम के सामने दर्शाया गया, उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य, यथास्थिति, 01.11.2000 से ही सेवा के लिए अंतिम रूप से आबंटित समझा जायेगा :

परन्तु, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रह होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा ।

(आर.आर.प्रसाद)

निदेशक एस.आर.(एस.)

(आर.आर.प्रसाद)

निदेशक

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
भारत सरकार

संलग्नक :

1. अनुबंध (115 पृष्ठों में) - उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य में अंतिम रूप से आबंटित प्रमुख अभियन्ता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 3739 कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची ।

प्रतिरिपि सूचनार्थ -

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
2. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर ।

FINAL ALLOCATION OF STATE CADRE EMPLOYEES - MADHYA PRADESH

Department : Public Health Engineering
HoD : E-in-C, Public Health Engineering

Sl. Employee Name. State to which finally allotted
No. Madhya Pradesh (MP)/CHHATTISGARH (CH)

32 Cadre Designation : SUB ENGINEER (CIVIL)
Pay scale : 6500-200-10500

444	RAMDUTT SINGH DANDOTIYA	MP
445	V K SIGORIYA	CH
446	D N JATAV	MP
447	R P PRAJAPATI	CH
448	R K PAROCHE	MP
449	S K RANGARE	MP
450	R S MEHRA	MP
451	B K SHARMA	MP
452	R K VERMA	MP
453	N K UKEY	MP
454	T D AHIRWAR	MP
455	J P AHIRWAR	MP
456	MUNNALAL KORI	MP
457	S R VERMA	MP
458	YASHVANTH KUMAR YADAV	CH
459	S K JATAV	CH
460	NARENDRA PRASAD SHILPI	CH
461	D R GURPANCH	CH
462	MUKUNDI LAL KATARIYA	CH
463	SHIVKARAN KUMHAR	CH
464	B P CHATURVIDANI	CH
465	R S GURJARWAR	CH
466	A K CHOUDHARY	CH
467	K N JAGLONIA	CH
468	T L MEHRA	CH
469	B S SUMAN	CH
470	S B SATYAWANSI	CH
471	D R KAPSE	CH
472	NAUDHA RAM JATWAR	CH
473	B TANDAN	CH
474	G S BAIRWA	CH
475	A R GAJBIYE	CH
476	J P KASYAP	MP
477	H K SHINDE	CH

R. R. Prasad

[SIGNATURE]

SEAL :

(SUB ENGINEER (CIVIL))

(R. R. PRASAD)

Director

Dept. of Personnel & Trg.
Govt. of India

Annexure to order No. 84/200.
Dated 7-9-02

Page No : 3

61